# FROM NO. III

## फर्द अहकाम
(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.............................................बनाम .............................................

किस्म मुकदमा– पत्थरगढ़ी नं. 5/2022 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31.1.2022 | प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र सिंह चूण्डावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया<br>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा अरनेड पटवार मण्डल अरनेड तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 173 रकबा 0.0890, 174 रकबा 0.0630 रकबा 0.1520 हैक्टर/बीघा भूमि स्वय के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही हैं। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।<br>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1000– अक्षरे एक हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा अरनेड पटवार मण्डल अरनेड तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 173 रकबा 0.0890 है. आ.न. 174 रकबा 0.0630 है. रकबा 0.1520 है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावें।<br>पत्थरगढ़ी [illegible] ...4.2022 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।<br>पत्रावली फैसल समार हो [illegible] नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>डूंगला | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.02.03 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested